

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE**  
**DISTRICT CHAMOLI (U.K.)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**


A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated 29.07.16 time 10.11 AM at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.893 hect for the construction of Rain Shelter, Mule hut, Gang hut, Sulabh Sochalaya, Bridle Suspension Bridge, Trolley, Halipad and Reconstruction of washout Bridle road Under PWD Gopeshwar Under State Sector at Joshimath Block in District- Chamoli, forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar


Dated: 29.07.16

Signature



29.07.16

(Vinod Kumar Suman)  
 District Magistrate Chamoli



  
 अधिवक्ता, अधिवक्ता  
 जलसिंचन विभाग, जल विभाग, विभाग  
 गोरखपुर



**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Magistrate : Chamoli**

Dated :- 29-07-16

No. :-

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.893 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Rain Shelter, Mule hut, Gang Hut, Sulabh Sochalaya, Bridle Suspension Bridge, Trolly, Halipad and Reconstruction of washout bridle road Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Joshimath Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.893 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature

(Vinod Kumar Suman)  
(District Magistrate Chamoli)

DM FRA Letter

आदिवासी अभियन्ता  
गन्तव्य खण्ड लोक नियोजन विभाग  
गोपेश्वर



परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया -हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया -हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु 0.893 है. सिविल/आरक्षित वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 2-7-16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- |                             |                           |         |
|-----------------------------|---------------------------|---------|
| 1- श्री. श्रीलक्ष्म जेठा    | उपजिलाधिकारी              | अध्यक्ष |
| 2- श्री. सुवैश कुमार डूब    | उप प्रभागीय वनाधिकारी     | सदस्य   |
| 3- श्री. निजम प्रसाद अरोड़ा | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य   |
| 4- श्री. शशीमती प्रमोदनाथ   | बी.डी.सी. क्षेत्र         | सदस्य   |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया -हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु 0.893 है. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रस्ताव में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
नन्दादवी राष्ट्रीय पार्क  
जोशीमठ

सहायक समाज कल्याण अधिकारी  
सहायक समाज कल्याण अधिकारी

शकुन्ता देवी  
शकुन्ता देवी



परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया -हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलम शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र


जनपद चमोली में जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया -हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलम शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु 0.893 हे० वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ..... हे० सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।


चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि ..... हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

  
ग्राम/वि० २७०  
२२/१२



DM FRA Letter

  
अधिकांसी अधिवक्ता,  
पन्नाय खण्ड लोक निर्माण विभाग,  
गढ़वाल



अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-धांधरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-धांधरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड आदि का निर्माण जनहित का निर्माण है। इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम वासियों की आम सभा हुई। आम सभा में निर्णय लिया गया कि इस निर्माण पर पड़ने वाली नाप भूमि/आरक्षित/वन पंचायत/आरक्षित भूमि आदि किसी प्रकार की भूमि में निर्माण में इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।



अधिकांसी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड संक निर्माण विभाग  
गोधरवा

## ग्राम पंचायत - भ्यूंडार (पुलना)

विकासखण्ड - जोशीमठ, जिला - चमोली, उत्तराखण्ड

ग्राम प्रधान:-

शिखरराज सिंह चौहान

मोबा: 9756163091, 9458944339

कार्यालय:-

ग्राम पंचायत - भ्यूंडार (पुलना)

पोस्ट - भ्यूंडार (पुलना),

तहसील - जोशीमठ, जिला - चमोली, उत्तराखण्ड

दिनांक 03.03.2022

पत्रांक

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम भ्यूंडार और पुलना एक ही  
ग्राम इलाके में आते हैं।





